

Rocket Launchers	150
Machine guns	135
AK Series Rifles	1926
Pistols	710
Guns	34
Rockets	366
Grenades/Bombs	4677/571
Mines	643
Explosives	643
Ammunition rounds	3,91,802
W/T sets.	66

(e) Sustained pressure is being maintained on the militants, a close watch is being kept on the possible infiltration routes, and related security measures have been tightened.

आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और मैथली भाषा को शामिल किया जाना

1155. श्री ईश दत्त यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भोजपुरी और मैथली भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) विभिन्न भाषाओं (भोजपुरी और मैथली भाषा सहित) की मांगों को सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुम्बई में हुए विस्फोटों में विदेशी नागरिकों का हाथ

1156. श्री शंकर वयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1993 को मुम्बई में हुई घटना में किसी विदेशी नागरिक का हाथ था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची और तत्संबंधी व्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय मुम्बई में रह रहे विदेशी नागरिकों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिससे यह पता चलता है कि बम्बई में हुए बम-विस्फोट में विदेशी एजेंसियों का हाथ है। जांच पड़ताल जारी है। इस संबंध में और अधिक सूचना का बताना जांच-पड़ताल करने और सुरक्षा आवश्यकताओं के हित में न होगा।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लाल चौक, श्रीनगर में हुई घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी

1157. श्री शंकर वयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 या 10 अप्रैल, 1993 को कश्मीर के लाल चौक में भ्रोषण अग्निकांड की घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने मकान नष्ट हुए और प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी, यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 10-4-93 को श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र में आतंकवादी हिंसा की एक घटना घटी जिसमें आगजनी के दौरान, वह इमारत जिसमें 200 दुकानें और 50 रिहायशी परिसर थे, क्षतिग्रस्त हो गई। राज्य सरकार ने डिब्रीजिंग कमीशनर द्वारा जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिसमें घटना के तथ्यों और उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। इस घटना में सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के आदेश दे दिए गए हैं। सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का

मृत्योक्त हो जाने के बाद, राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अधीन, राहत का भुगतान किया जाएगा।

Abolishing Capital Punishment

1158. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to abolish capital punishment in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal to abolish capital punishment in view of its deterrent effect.

भारतीय नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति

1159. श्री ईश बत्त यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की है;

(ख) क्या यह सच है कि नागरिकता प्रदान करने से पूर्व कई बातों की जांच की जाती है और यदि हां, तो इन जांचों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच करने की प्रक्रिया में लापरवाही और कदाचार के मामलों की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : पिछले तीन वर्षों के दौरान,

"नागरिकता अधिनियम, 1955" के विभिन्न प्रावधानों के अधीन 2350 व्यक्तियों को, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जांच-पड़ताल करवाने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के दौरान किसी लापरवाही अथवा अनाचार की बात ध्यान में नहीं आई है।

1160. [Transferred to 11th May, 1993]

अंध महाविद्यालय, नई दिल्ली के लिए भूमि

1161. श्री सोम पाल :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंध महा-विद्यालय पंचकुड़िया रोड, नई दिल्ली, को स्कूल भवन और होस्टल निर्माण के लिए हरि नगर, घंटा घर नई दिल्ली, में भूमि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका आवंटन कब दिया गया था और कितनी भूमि आवंटित की गई थी;

(ग) उक्त भूमि किस विभाग के अधीन है और उक्त भवन पूरा तैयार न हो पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसे हटाने और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अंध महाविद्यालय सोसाइटी, पंचकुड़िया रोड, को एक स्कूल और एक छात्रावास का निर्माण करने के लिए हरी नगर घंटा घर, नई दिल्ली में वर्ष 1980 से पहले दो एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था।